न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 140/2020

1. दरियासिंह पुत्र अमीचंद जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. गोरीशंकर पुत्र अमीचंद जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. रामप्रताप पुत्र अमीचंद जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
4. देवीसिंह पुत्र अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।

:- वादीगण

ब नाम

1. अमीचंद पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. अमरसिंह पुत्र अमीचंद जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. चन्द्रो पुत्री अमीचंद जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
4. माया पुत्री अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
5. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 3/3 के खसरा सं0 280/1 की 4.566है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 अमीचंद् के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमीचंद का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 दरियासिंह, वादीगण सं0 2 गोरीशंकर, वादीगण सं0 3 रामप्रताप व प्रतिवादी सं0 2 अमरसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.6.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 140/2020

1. दरियासिंह पुत्र अमीचंद जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. गोरीशंकर पुत्र अमीचंद जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. रामप्रताप पुत्र अमीचंद जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
4. देवीसिंह पुत्र अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. अमीचंद पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. अमरसिंह पुत्र अमीचंद जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. चन्द्रो पुत्री अमीचंद जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
4. माया पुत्री अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
5. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिंगाठिया: वादीगण

वकील श्री सुरेन्द्र गढवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 28.6.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 3/3 के खसरा सं0 280/1 की 4.566है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 अमीचंद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा बालूराम की खातेदारी हुआ करती थी। बालूराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 अमीचंद ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त [illegible] भूमि को [illegible] हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर्ड किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया व प्रतिवादी सं0 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 दरियासिंह पुत्र अमीचंद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही जिगासरी छोटी खाता सं0 3/3 संवत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही जिगासरी बडी खाता सं0 7/5 संवत 2072–75 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलायला प्रदर्श 3, दादालाई जमाबंदी रोही जिगासरी छोटी संवत 2033 खाता सं0 24/41 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही जिगासरी छोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही जिगासरी छोटी खाता सं0 3/3 संवत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही जिगासरी बडी खाता सं0 7/5 संवत 2072–75 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलायला प्रदर्श 3, दादालाई जमाबंदी रोही जिगासरी छोटी संवत 2033 खाता सं0 24/41 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। तथा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार अमीचंद के चार पुत्र दरियासिंह, गोरीशंकर, रामप्रताप, अमरसिंह व एक पुत्री चन्द्रो तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । उक्त वादभूमि के अलावा प्रतिवादी सं0 1 अमीचंद के नाम से अन्य भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल आंशिक स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 3/3 के खसरा सं0 280/1 की 4.566है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 अमीचंद के नाम राजस्व रिकार्ड में .दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमीचंद का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 दरियासिंह वादीगण सं0 2 गोरीशंकर, वादीगण सं0 3 रामप्रताप व प्रतिवादी सं0 2 अमर[illegible] हिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड [illegible] पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.21 को मे[illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner